2

अंशों का निर्गमन, हरण एवं पुनर्निर्गमन
[ISSUE, FORFEITURE AND REISSUE OF SHARES]

अंश
(SHARE)

अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definitions)

अंश शब्द का शाब्दिक अर्थ 'हिस्सा' या 'भाग' से है। कम्पनी की पूँजी एक निश्चित मूल्य के विभिन्न हिस्सों में विभक्त होती है, प्रत्येक हिस्सा 'अंश' कहलाता है।

न्यायाधीश लिण्डले के शब्दों में, ''अंश, कम्पनी की पूँजी का वह आनुपातिक भाग है जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है।''

बॅकनल के अनुसार, ''अंश सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत रूप से दी गई पूँजी का वह आनुपातिक भाग है, जो कम्पनी में एक अंशधारी के हित का प्रतिनिधित्व करता है और उसके अधिकारों, कर्तव्यों तथा उस पर दायित्व प्रदान करता है।''

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(84) के अनुसार, ''अंश से आशय एक कम्पनी की अंश पूँजी के एक भाग से है और इसमे स्कन्ध भी सम्मिलित किया जाता है।''

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि ''अंश, कम्पनी की पूँजी की छोटी-से-छोटी विभाज्य इकाई होती है जो कम्पनी में स्वामित्व सम्बन्धी सम्बन्ध को प्रदर्शित करती है, इसे मुद्रा की एक निश्चित राशि से मापा जा सकता है तथा इसका सम्पूर्ण हस्तान्तरण ही सम्भव होता है।''

अंश की प्रकृति (Nature of Share)

1. अंश कम्पनी की सम्पत्तियों में हित का एक माप है।
2. अंशों का एक निश्चित मूल्य होता है।
3. अंश हस्तान्तरणीय होते हैं।
4. अंश कम्पनी के अंशधारियों को कुछ अधिकार एवं दायित्व प्रदान करते हैं।
5. अंश चल सम्पत्ति होते है।

अंशों के प्रकार (Kind of Shares)

कम्पनी अधिनियम, 2013 में अंशों के प्रकारों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 43 में वर्णित अंशों द्वारा सीमित कम्पनी की अंश-पूँजी के आधार पर अंश निम्न प्रकार के हो सकते हैं :

1. पूर्वाधिकार 'या' अधिमान अंश (Preference Shares)—पूर्वाधिकार 'या' अधिमान अंशों से आशय उन अंशों से है जिन्हें लाभांश की निश्चित राशि या निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने तथा कम्पनी के समापन पर पूँजी के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में पूर्वाधिकार प्राप्त हो।

सामान्यतः पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश निम्न प्रकार के होते है :

(i) **संचयी पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Cumulative Preference Shares)—इन पूर्वाधिकार (अधिमान) अंशो पर एक निश्चित प्रतिशत देय लाभांश की बकाया राशि आगामी वर्षो के लिए संचित रखी जाती है यदि किसी वर्ष लाभांश देने के लिए पर्याप्त राशि न हो तो इन अंशो पर बकाया लाभांश के भुगतान के पश्चात् ही अन्य अंशो पर लाभांश का भुगतान किया जाता है।

(ii) **असंचयी अथवा साधारण पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Non-cumulative Preference Shares)—इन अंशो पर एक निश्चित प्रतिशत की दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकार होता है यदि किसी वर्ष लाभांश घोषित नहीं किया जा सका हो तो बकाया लाभांश की राशि आगामी वर्षो के लिए संचित नहीं रखी जाती।

(iii) **परिवर्तनशील पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Convertible Preference Shares)—इन अंशो को एक निश्चित समय मे, निश्चित दर पर समता अंशो में परिवर्तित किया जा सकता है।

(iv) **अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Non-convertible Preference Shares)—इन पूर्वाधिकार (अधिमान) अंशों को समता अंशों में परिवर्तित नही किया जा सकता है।

(v) **भागयुक्त पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Participating Preference Shares)—वे पूर्वाधिकार अंश जिन पर एक पूर्व निश्चित दर से लाभांश के अतिरिक्त समता अंशधारियों को लाभांश चुकाने के पश्चात् बचे हुए लाभ में भी हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार हो, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं।

(vi) **अभागयुक्त पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Non-participating Preference Shares)—इन अंशों पर एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है परन्तु अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा पाने का अधिकार नहीं होता।

(vii) **शोध्य या विमोचनशील पूर्वाधिकार (अधिमान) अंश** (Redeemable Preference Shares)—इन पूर्वाधिकार (अधिमान) अंशों का भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात् (20 वर्ष से ज्यादा नहीं) कम्पनी अधिनियम एवं पार्षद् अन्तर्नियम की व्यवस्था के अनुसार किया जा सकता है अर्थात् इनकी राशि कम्पनी द्वारा लौटायी जा सकती है।

अब कम्पनी ऐसे पूर्वाधिकार अंशो का निर्गमन नही कर सकती जिनका विमोचन (शोधन) 20 वर्ष पश्चात् किया जाना हो, अत: इस आधार पर अब अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन भारत में नहीं किया जा सकता।

2. समता अंश या साधारण अंश (Equity Shares)—समता अंश से आशय "उन अंशो से है जो 'पूर्वाधिकार या अधिमान अंश' नहीं है।"

दूसरे शब्दों में, समता अंशधारियों को लाभांश एवं पूँजी के पुनर्भुगतान में पूर्वाधिकार प्राप्त नहीं होता। इन्हे लाभांश उसी दशा में मिलता है जब अधिमान अंशों पर लाभांश के भुगतान के पश्चात् कुछ लाभ शेष हो। इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती।

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार एक अंशों द्वारा सीमित दायित्व वाली कम्पनी निम्न दो प्रकार के समता अंशो का निर्गमन कर सकती है—(i) मताधिकार सहित एवं (ii) लाभांश, मताधिकार आदि के सम्बन्ध में विभेदात्मक अधिकार रखने वाले समता अंश।

3. स्वेट समता अंश या श्रम साध्य साधारण अंश (Sweat Equity Share)—कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(88) के अनुसार स्वेट या श्रम साध्य समता अंश मे आशय ऐसे समता अंशों से है जो एक कम्पनी द्वारा अपने संचालकों या कर्मचारियों को नकदी के अतिरिक्त, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की प्रकृति या मूल्य परिवर्धनो की प्रकृति में चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, ज्ञान उपलब्ध कराने या उनको अधिकार उपलब्ध कराने के लिए बट्टे पर या प्रतिफल के लिए निर्गमित किये जाते है।

समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अन्तर

(Difference between Equity Share and Preference Share)

क्र. सं. (*S. No.*)	अन्तर का आधार (*Basis of Difference*)	समता अंश (*Equity Share*)	पूर्वाधिकार अंश (*Preference Share*)
1.	**लाभांश**	समता अंशो पर लाभांश पूर्वाधिकार अंशो पर लाभांश के भुगतान के बाद प्राप्त होता है।	पूर्वाधिकार अंशो पर लाभांश समता अंशो से पहले प्राप्त होता है।
2.	**लाभांश की दर**	समता अंशो पर लाभ की दर निश्चित नही होती।	पूर्वाधिकार अंशो पर लाभांश की दर निश्चित होती है।
3.	**बकाया लाभांश**	समता अंशो पर बकाया लाभांश आगामी वर्षो में देय नही होता।	संचयी पूर्वाधिकार अंशो पर गत वर्षों का बकाया लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है।
4.	**अंश पूँजी का शोधन**	समता अंशो का शोधन कम्पनी के जीवनकाल मे नही होता।	पूर्वाधिकार अंशो का शोधन कम्पनी के जीवनकाल में किया जा सकता है।
5.	**प्रबन्ध, संचालन में भागीता**	इन अंशो के धारको को कम्पनी के प्रबन्ध, संचालन में भाग लेने का आधिकार प्राप्त होता है।	इन अंशों के धारको को प्रबन्ध, संचालन मे भाग लेने का अधिकार नही होता।
6.	**परिवर्तनीयता**	समता अंश पूर्वाधिकार अंशो मे परिवर्तित नही किये जा सकते है।	पूर्वाधिकार अश शर्तों के अनुसार समता अंशो मे परिवर्तित किये जा सकते है।
7.	**कम्पनी में अस्तित्व**	कम्पनी की स्थापना समता अंशो के द्वारा होती है।	कम्पनी की स्थापना पूर्वाधिकार अंशो के द्वारा नही हो सकती है।

अंश पूँजी (Share Capital)

कम्पनी के अंशो के सम्बन्ध मे चुकायी जाने वाली राशियाँ अश पूँजी कहलाती है। कम्पनी की अंश पूँजी अशधारियो से प्राप्त की जाती है चूंकि कम्पनी मे अंशधारियो की संख्या अधिक होती है अत: प्रत्येक अशधारी के लिए पृथक्-पृथक् पूँजी खाता नही खोला जाता बल्कि एक ही प्रकार के समस्त अंशधारियों से प्राप्त राशि एक ही पूँजी खाता मे समायोजित की जाती है।"

कम्पनी अधिनियम, 2013 में अंशपूँजी को परिभाषित नही किया गया है।

अंश पूँजी के प्रकार (Types of Share Capital)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के सन्दर्भ में कम्पनी में पूँजी शब्द का प्रयोग निम्नांकित अर्थों में किया जाता है :

1. अधिकृत या प्राधिकृत पूँजी अथवा अभिहित पूँजी (Authorised Capital or Nominal Capital)—अधिकृत पूँजी से आशय ऐसी पूँजी से है जिसे कम्पनी के जीवन काल में पार्षद सीमा नियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा सकता है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 2(8) के अनुसार, "अधिकृत पूँजी का आशय ऐसी पूँजी से है जिसकी अधिकतम राशि को कम्पनी की अंश पूँजी के रूप में कम्पनी के पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत किया गया है।"

2. निर्गमित पूँजी (Issued Capital)—अधिकृत पूँजी का वह भाग जो वास्तव में जनता को क्रय करने के लिए प्रस्तावित किया जाए, निर्गमित पूँजी कहलाती है। प्राय: कम्पनी द्वारा प्रारम्भ में अपनी सम्पूर्ण अधिकृत पूँजी का निर्गमन नहीं किया जाता बल्कि उसके कुछ भाग का ही निर्गमन किया जाता है। कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 2(50) के अनुसार, "निर्गमित पूँजी का आशय ऐसी पूँजी से है जिसे कम्पनी समय-समय पर आबंटन हेतु निर्गमित करती है।" निर्गमित पूँजी में निम्न को निर्गमित किये अंश शामिल किये जाते हैं : (i) रोकड़ के लिए जनता में निर्गमित अंश, (ii) प्रवर्तकों अथवा पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को निर्गमित अंश (रोकड़ के अतिरिक्त), (iii) सम्पत्ति के विक्रेताओं को विक्रय प्रतिफल के बदले दिये गये अंश (रोकड़ के अतिरिक्त), (iv) अधिकार अंश (Right Shares), (v) अधिलाभांश अंश (Bonus Shares) आदि।

3. अनिर्गमित पूँजी (Un-issued Capital)—अधिकृत पूँजी का वह भाग जो निर्गमित न किया गया हो, अनिर्गमित पूँजी कहलाती है।

4. प्रार्थित पूँजी या अभिदत्त या आवेदित पूँजी (Subscribed Capital)—निर्गमित पूँजी का वह भाग, जो जनता द्वारा आवेदित किया गया हो, प्रार्थित अथवा आवेदित पूँजी कहलाता है। प्रार्थित अथवा आवेदित पूँजी निर्गमित पूँजी से कम या अधिक हो सकती है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 2(86) के अनुसार, "पूँजी का वह भाग जिसे कुछ समय के लिए कम्पनी के सदस्यों द्वारा प्रार्थित किया जाता है, अभिदत्त पूँजी कहलाती है।"

5. आबण्टित पूँजी (Alloted Capital)—अंश आवेदकों को आबण्टित की गयी पूँजी, आबण्टित पूँजी कहलाती है, यह पूँजी निर्गमित पूँजी अथवा आवेदित पूँजी (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होती।

6. याचित अथवा माँगी गई पूँजी (Called-up Capital)—आबण्टित पूँजी का वह भाग जो आवेदकों से माँगा जाए, याचित पूँजी कहलाता है। दूसरे शब्दों में, कम्पनी द्वारा आबण्टित अंशों पर माँगी गई राशि याचित पूँजी कहलाती है। किन्तु अधिमूल्य की राशि याचित पूँजी का भाग नहीं होती है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 2(15) के अनुसार, "याचित पूँजी का आशय पूँजी के उस भाग से है जिसे भुगतान हेतु माँगा जा चुका है।"

7. अयाचित पूँजी (Uncalled Capital)—आबण्टित पूँजी का वह भाग, जो कम्पनी द्वारा नहीं माँगा गया है, अयाचित पूँजी कहलाता है।

8. चुकता या समादत्त पूँजी (Paid-up Capital)—माँगी पूँजी का वह भाग, जिसका भुगतान वास्तव में अंशधारियों द्वारा कर दिया गया है, प्रदत्त या चुकता पूँजी कहलाती है।

कम्पनीज अधिनियम, 2013 की धारा 2(64) के अनुसार, "चुकता या समादत्त पूँजी का आशय जमा की गई ऐसी पूर्ण मौद्रिक राशि से है जो निर्गमित अंशों पर चुकता राशि के रूप में प्राप्त हुई है तथा कम्पनी के अंशों के सम्बन्ध में अन्य कोई क्रेडिट की गई प्राप्त राशि, लेकिन इसमें (चुकता पूँजी) अन्य किसी नाम से अंशों पर प्राप्त राशि को शामिल नहीं किया जाता है।"

9. संचित पूँजी (Reserve Capital)—अयाचित पूँजी का वह भाग, जिसे कम्पनी के जीवनकाल में नहीं माँगा जाता, संचित पूँजी कहलाता है। प्राय: कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित कर यह निश्चित किया जाता है कि अयाचित पूँजी का कुछ भाग समापन की दशा में माँगा जायेगा तब पूँजी का ऐसा भाग संचित पूँजी कहलाता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में न्यायालय के आदेश पर कम्पनी इसे साधारण पूँजी में बदल सकती है। ऐसी पूँजी के निर्माण का एक मात्र उद्देश्य कम्पनी के समापन की दशा में लेनदारों को सुरक्षा प्रदान करना है। अत: इसे सुरक्षित दायित्व (Reserve Liability) भी कहा जाता है।

अंश पूँजी का चिट्ठे में उल्लेख (Disclosure of Share Capital in Balance Sheet)

कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–III के अनुसार अंश पूँजी को चिट्ठे के समता एवं दायित्व भाग के अन्तर्गत् अंशधारियों के कोष में दर्शाया जायेगा। प्रत्येक वर्ग के अंशों का पूर्ण विवरण अलग से लेखा से सम्बन्धित टिप्पणियों में दर्शाया जायेगा।

अंश पूँजी के प्रत्येक वर्ग के लिए :

(क) अधिकृत अंशों की संख्या और राशि;

(ख) निर्गमित, प्रार्थित तथा पूर्ण चुकता एवं प्रार्थित किन्तु जो पूर्ण चुकता नहीं है, अंशों की संख्या;
(ग) प्रति अंश, अंकित मूल्य;
(घ) रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ और अन्त में बकाया अंशों की संख्या का समाधान;
(ङ) अंशों के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमानताएँ और प्रतिबन्ध, जिनके अन्तर्गत लाभांश के वितरण और पूँजी की वापसी पर प्रतिबन्ध भी सम्मिलित है;
(च) सूत्रधारी कम्पनी या अन्ततोगत्वा सूत्रधारी कम्पनी द्वारा कम्पनी में प्रत्येक वर्ग के सम्बन्ध में धारित अंश, जिनके अन्तर्गत सूत्रधारी कम्पनी या अन्ततोगत्वा सूत्रधारी कम्पनी की सहायक या सहबद्ध कम्पनियों द्वारा सकल रूप में धारित अंश भी है;
(छ) 5 प्रतिशत से अधिक अंश धारण करने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा कम्पनी में धारित अंश, धारित अंशों की संख्या विनिर्दिष्ट करते हुए;
(ज) अंशों के विक्रय विनिवेश के लिए विकल्पों और संविदाओं/प्रतिबद्धताओं के अधीन निर्गम के लिए आरक्षित अंश;
(झ) चिट्ठा तैयार करने की तिथि से ठीक पूर्ववर्ती पाँच वर्ष की अवधि के लिए :
- संविदा संविदाओं के अनुसरण में पूर्ण चुकता रूप में आबण्टित अंशों के वर्ग एवं कुल सख्या जिनका भुगतान नकद के रूप में प्राप्त न हो और वर्ग
- बोनस अंशों के माध्यम से पूर्णदत्त के रूप में आबण्टित अंशों की कुल संख्या और वर्ग;
- वापस क्रय किए गए अंशों की कुल संख्या और वर्ग;

(ञ) सम्परिवर्तन की पूर्वतम तारीख के साथ निर्गमित समता अधिमानी अंशों में सम्परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की शर्तें, सबसे दूर ऐसी तारीख से आरम्भ करते हुए अवरोही अनुक्रम में;
(ट) अदत्त माँगें (संचालकों और अधिकारियों द्वारा अदत्त माँगों के कुल मूल्य को दर्शित करते हुए);
(ठ) जब्त अंश (मूल रूप में चुकता राशि)।

In the balance sheet according to schedule III, the share capital will be presented as under :

Balance Sheet
(as on .....)

Particulars	*Note No.*	*Amount*
		₹
I. EQUITIES AND LIABILITIES		
(1) **Shareholders' Fund :**		.....
(a) Share Capital		
(b) Reserves & Surplus		
(c) Money Received Against Share Warrants		
(2) **Share Application Money**		.....
Calls in Advance		

Other information related to share capital will be shown in Notes to Accounts as under :

Shareholders' Funds :

Share Capital		₹
Authorised Share Capital		
..... Shares @ ₹ ..... per share		.....
Issued Share Capital		
..... Shares @ ₹ ..... per share		.....
Subscribed and called up capital		
..... Shares @ ₹ ..... per share called		.....
Paid-up Share Capital	₹	
..... Shares @ ₹ ..... per share	.....	
Less : Calls unpaid (calls in Arrears)	(.....)	
	.....	.....
Add : Shares Forfeited Account		.....